अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्र संख्याः- डीजी-परिपत्र **52**/2018 दिनांकः अक्टूबर 05, 2018

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
जनपद प्रभारी/रेलवे, उत्तर प्रदेश।

कृपया संज्ञान में आया है कि जनपद स्तर पर सम्पन्न होने वाली मासिक अपराध गोष्ठी में कुछ जनपदों मे कार्यरत रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, अग्निशमन विभाग एवं रेडियों विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इस कारण से जनपद में कार्य करने वाली प्रदेश पुलिस की उक्त इकाईयों एवं रेलवे सुरक्षा बल से जनपदीय पुलिस के बीच समन्वय की कमी हो रही है।

2. उक्त सम्बन्ध में जनपदों में आहूत होने वाली मासिक अपराध गोष्ठी में रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, अग्निशमन विभाग एवं रेडियों विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी सम्मिलित करते हुए आपसी सामन्जस्य बनाकर जानकारियों का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता है।

3. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर प्रत्येक माह सम्पन्न होने वाली मासिक अपराध गोष्ठी में जनपद मे कार्यरत रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, अग्निशमन विभाग एवं रेडियों विभाग के अधिकारियों को अवश्य सम्मिलित किया जाय।

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन/रेलवे उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल(RPF), उ0प्र0 लखनऊ।

Scanned by CamScanner